न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 39 / 2024
(जीसीएमएस नम्बर 2024 / 287)

निर्णय दिनांकः– 9-3-26

1. जसाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ग्राम उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. डूंगरराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. सुरजाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. परताराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. रामनारायण पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रामूराम पुत्र आसाराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. मानाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2023
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री लूणकरण शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
5. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2023 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दावा को डिक्री किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा रोही मौजा उतमामदेसर तहसील नोखा जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 233 तादादी 7. 6900 हैक्टेयर में से पूर्वी हिस्सा सड़क पर तादादी 0.6500 हैक्टेयर भूमि जरिये विकय पत्र दिनांक 25.11.2022 को पूर्व प्रतिफल देकर पूर्ण आसा पासा की भूमि क्रय की तथा मौके पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया था, तब से लेकर आज दिन तक अपीलान्ट उक्त रकबा पर बदस्तूर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा राजस्व रेकार्ड में भी अपीलान्ट बतौर खातेदार काश्तकार है। वादीगणो/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाब दावा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया था तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते तथा फिर तनकी वार निर्णय पारित करते परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नियम एवं कानून को ताक पर रख कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलान्ट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र में प्रस्तुत कथनो से इंकार किया है, तो फिर उसके बाद वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयत कायम करनी चाहिये थी तत्पश्चात शहादत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की लेकर फिर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण से दुरभी संधि करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसकी भनक तक अपीलान्ट को नहीं लगने दी जो कि Abuse Of Process OF Law की तारीफ में आता है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है। प्रतिवादी सं. 3 जसाराम (अपीलान्ट) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद पत्र में वर्णित कथनो को अस्वीकार किया था तथा विशेष कथन में भी यह लिखा था कि प्रतिवादी सं. 3 (अपीलान्ट) अपने हिस्सा पर काबिज काश्त चले आ रहे

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। जब अपीलान्ट के द्वारा जवाब दावा में वाद पत्र को अस्वीकार किया है तो फिर दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायत की जानी कानूनन आवश्यक है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस जवाब दावा को इकबाल जवाब मान कर कानूनी भूल की है, जिसकी कानून में कोई मान्यता नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द अहकाम दिनांक 21.12.2023 में लिखा है कि प्रतिवादी ने वाद पत्र के कथनो को स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की है अतः वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी ए स्वीकार किया जाता है बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि जब अपीलान्ट ने अपने जवाब दावा में स्पष्ट लिखा है कि वादीगण के दावा में वर्णित तमाम कथन अस्वीकार है, तो फिर अधीनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर उसके कथनो को स्वीकार माना है, इससे ही स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोन्डेन्टान से मिली भगत करके कानून एवं नियमो का ताक पर रख कर अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया यदि किया होता तो पता चलता कि अभी पत्रावली में तलबी पूरी नहीं हुई, है, यानि कि प्रतिवादी सं. 5 व 6 की तलबी नहीं हुई तथा ना ही अनका कोई जवाब दावा ही लिया गया जबकि प्रतिवादी सं. 6 से कानूनन जवाब दावा लिया जाना चाहिये था, ऐसी स्थिति में पत्रावली तलबी की स्टेज पर होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है, जो कतई गलत, गैर कानूनी एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण निरस्त योग्य है, जिसे निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय लिखा है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की और से श्री धनश्यम बरोड़ ने उपस्थित होकर वाद पत्र वादीगण के निहित हिस्से तक स्वीकार करने हेतु सहमति दी तथा जवाब दावा पेश किया मैने पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि जब अपीलान्ट ने जवाब दावा प्रस्तुत किया है तो उसके अनुसार आगे की कार्यवाही करनी चाहिये थी बिना बहस हुए अदालत मातहत पत्रावली का अवलोकन करते है, साथ जवाब दावा प्रस्तुत होते हुए अधिवक्ता निहित हिस्से का कैसे स्वीकार कर सकता है, जब अपीलान्ट का ज़वाब दावा ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष था तो फिर उस जवाब दावा के आधार पर आगामी कार्यवाही की जानी चाहिये थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और बिना बहस सुने बिना प्रोसिजर अपनाए, कानून की पूर्णरूप् से धज्जियां उड़ाते हुए दुरभी संधि करके अपीलाधीन आदेश व डिकी पारित की गई हैं। अपीलान्ट ने उपरोक्त वर्णित रकबा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा अनुसार भूमि क्रय की थी, ये

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष थे फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का विक्रय पत्र विशेष हिस्से की हद तक शुन्य घोषित किया है, जिसे करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अपीलान्ट का बैयनामा आज दिन तक वैध है। अपीलान्ट ने उपरोक्त वर्णित रकबा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2022 को एक मात्र खातेदार रामूराम से पूर्ण प्रतिफल देकर क्रय किया तथा विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा की भूमि का कब्जा भी दिनांक 25.11.2022 को ही मौके पर कर लिया था तब से लेकर आज दिन तक अपीलान्ट उक्त हिस्सा रकबा पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जबकि रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 द्वारा वाद पत्र दिनांक 30.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत किया गया है, यानि कि करीब डेढ माह पश्चात वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, इससे स्पष्ट था कि विक्रय पत्र में वर्णित आसा पासा की भूमि का अपीलान्ट खातेदार है तथा मौके पर भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बैयनामा विशेष हिस्से की हद तक शुन्य घोषित करने का आदेश पारित कर दिया जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 21–12–2023 निरस्त किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलान्ट ने कई बार अपने वकील से अपने उक्त मुकदमा के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हे अपने आप सुचित कर दूंगा यहां आने की आवश्यकता नहीं है, तो अपीलान्ट निशचिन्त हो गया, अपीलान्ट अपने उक्त रकबा को संपरिवर्तन करवाने के लिए दिनांक 18.05.2024 को पटवारी हल्का के पास नकले लेने गया तो पटवारी हल्का ने रेकार्ड देख कर बताया कि तुम पहले खाता विभाजन करवाओ फिर संपरिवर्तन की कार्यवाही होगी क्योंकि इस खाता में तो नाम बहुत है, तो अपीलान्ट ने कहा कि खाते में मैरा और रामूराम का ही नाम है, और मैने तो आसापासा सहित विशेष हिस्सा कय किया है, उसकी तरमीम कर दो तो पटवारी हल्का ने बताया कि एस डी.ओ के निर्णय के अनुसार रामूराम के लड़को का भी नाम दर्ज है, तो अपीलान्ट ने कहा कि अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है, तो पटवारी हल्का ने कहा कि फैसला हो गया है, तुम अपने वकील साहब से जाकर पत्रावली देख लो तो अपीलान्ट उसी दिन अपने वकील साहब के पास गया और पूछा तो वकील साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम 5–7 दिन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

बाद में आना तो अपीलान्ट ने दुसरे वकील साहब से प्रकरण का पता करने को कहा तो उन्होने कहा मैं पता करके बताता हूं तुम 2–3 दिन बात आना तो अपीलान्ट अपने गांव चला गया और दिनांक 22.05.2024 को फिर वकील साहब के पास आया तो उन्होने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले निकलवा कर दी और बताया कि तुम्हारी पत्रावली में तो दिनांक 21.12.2023 को निर्णय हो गया था, तब अपीलान्ट ने पूछा अब क्या करे मुझे तो धनश्याम बरोड़ वकील साहब ने कभी बताया ही नहीं तो उन्होने कहा तुम बीकानेर जाकर जल्दी से जल्दी अपील प्रस्तुत करो। तो अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल लेकर अपने गांव चला गया और रूपयो पैसो की व्यवस्था करके आज दिनांक 23.05.2024 को बीकानेर वकील नियुक्त कर बिना किसी प्रकार की देरी किए अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपीलान्ट ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, उक्त देरी उन्हे जानकारी न होने के कारण हुई है, इसलिए डिले कन्डोन फरमाई जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022(1) पेज 686, आरआरटी 2024(2), आरआरटी 2023(2) पेज 1115 पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने सर्वप्रथम मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि कानून में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने के लिए 60 दिवस की अवधि निर्धारित की गई है। लेकिन अपीलांट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2023 के विरूद्ध दिनांक 24–05–2024 को अपील पेश की है। जो जानकारी से 154 दिवस बाद पेश की है। इसलिए अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को रेस्पोडेन्ट की आपत्ति का इंतजार किये बिना मियाद के बिन्दू पर खारिज किया जाना चाहिए। लेजिसलेचर ने मियाद अधिनियम की धारा 5 में यह व्यवस्था दी है कि यदि देरी से कार्यवाही करने वाला कोई संतोषप्रद कारण बता देता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा।

संतोषप्रद कारण क्या है इसको आरआरडी 1955 पेज 252 में परिभाषित किया है जिसके अनुसार ऐसा कारण जो कार्यवाही करने वाला की पहुँच से बाहर हो वह संतोषप्रद कारण होता है। अपीलांट द्वारा 154 दिन की मियाद को क्षमा करनवाने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में निम्न कारण दर्शित किये है– "अपीलान्ट ने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कई बार अपने वकील से अपने उक्त मुकदमा के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें अपने आप सुचित कर दूंगा यहां आने की आवश्यकता नहीं है, तो अपीलान्ट निशचिन्त हो गया, अपीलान्ट अपने उका रकबा को संपरिवर्तन करवानें के लिए दिनांक 18.05.2024 को पटवारी हल्का के पास नकले लेने गया तो पटवारी हल्का ने रेकार्ड देख कर बताया कि तुम पहले खाता विभाजन करवाओं फिर संपरिवर्तन की कार्यवाही होगी क्योंकि इस खाते में तो नाम बहुत है तो अपीलान्ट ने कहा कि खाते में मेरा और रामूराम का ही नाम है, और मैंने तो आसापासा सहित विशेष हिस्सा क्रय किया है, उसकी तरमीम कर दो तो पटवारी हल्का ने बताया कि एस डी ओ के निर्णय के अनुसार रामूराम के लड़को का भी नाम दर्ज है, तो अपीलान्ट ने कहा कि अभी तक तो फसला हुआ नहीं है, तो पटवारी हल्का ने कहा कि फैसला हो गया है, तुम अपने वकील साहब से जाकर पत्रावली देख लो तो अपीलान्ट उसी दिन अपने वकील साहब के पास गया और पूछा तो वकील साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम 5–7 दिन बाद में आना तो अपीलान्ट ने दुसरे वकील साहब से प्रकरण का पता करने को कहा तो उन्होंने कहा मैं पता करके बताता हूं तुम 2–3 दिन बात आना तो अपीलान्ट अपने गांव चला गया और दिनांक 22.05.2024 को फिर वकील साहब के पास आया तो उन्होंने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले निकलवा कर दी और बताया कि तुम्हारी पत्रावली में तो दिनांक 21.12.2023 को निर्णय हो गया था, तब अपीलान्ट ने पूछा अब क्या करे मुझे तो धनश्याम बरोड़ वकील साहब ने कभी बताया ही नहीं तो उन्होंने कहा तुम बीकानेर जाकर जल्दी से जल्दी अपील प्रस्तुत करो। तो अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल लेकर अपने गांव चला गया और रुपयो पैसो की व्यवस्था करके आज दिनांक 23.05.2024 को बीकानेर वकील नियुक्त कर बिना किसी प्रकार की देरी किए अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपीलान्ट ने जानबूझ कर कोई देरी नहीं की है, उक्त देरी उन्हें जानकारी न होने के कारण हुई है, इसलिए डिले कन्डोन फरमाई जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।"

"रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का निवेदन है कि अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र की प्रारंभिक तीन पंक्तियों में लिखा है कि "अधिवक्ता ने बताया कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं अपने आप सुचित कर दूंगा यहां आने की आवश्यकता नहीं है तो अपीलांट निश्श्चत हो गया।"

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस बिंदु पर रेस्पोडेन्ट का निवेदन है कि प्रथमतः अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत दावा का जबाब प्रस्तुत किया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत दावा को स्वीकार करने के लिए लिखित में सहमति प्रदान की है इसके बाद दिनांक 27.12.2023 को अपीलांट स्वंय ने तहसीलदार जसरासर के समक्ष स्वंय प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसकी प्रति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मियाद प्रार्थना पत्र के जबाब के साथ प्रस्तुत की है जिसमें अपीलांट स्वंय ने राजस्व वाद संख्या 19/2023 उपखण्ड अधिकारी नोखा के डिक्री फैसला के अनुसार हिस्सा दर्ज किया जाने का अंकन किया है। इसके पश्चात अपीलांट के पक्ष में इंतकाल संख्या 641 जो अनिर्णीत था उसे दिनांक 28.12.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा के निर्णय व डिक्री की पालना में स्वीकृत किया गया है।

इंतकाल संख्या 641 के दिनांक 28.12.2023 की स्वीकृति के पश्चात अपीलांट ने दिनांक 29.12.2023 को इंतकाल संख्या 641 के अनुसार दर्ज अपने 65/979 में से 0.325 हैक्टयर भूमि रामनारायण पुत्र हुकमाराम को बिना आसा पासा के बैय की है, उक्त बैयनामा की प्रत्ति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मियाद प्रार्थना पत्र के जबाब के साथ प्रस्तुत की है, बैयनामा के अंत में बैयनामा लेखन एडवोकेट घनश्याम बरोड़ द्वारा लिखा जाने का अंकन है साथ ही घनश्याम बरोड़ एडवोकेट की मोहर लगी हुई तो अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र में यह कहना कि अपीलांट दिनांक 18.05.2024 को पटवारी हल्का के पास गया तथा उसी दिन वकील साहब से पुछा तो वकील साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के जबाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के विपरित है इसलिए अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य संतोषजनक कारण की परिभाषा में नहीं आते है।

अपीलांट ने अपनी लिखित बहस के पैरा संख्या 12 में लिखा है कि अपीलांट ने कई सफेद पेपर पर हस्ताक्षर करके अपने वकील साहब को दे रखे थे तो हो सकता है, उस पेपर का उपयोग किया हो, पर अपीलांट कभी भी तहसीलदार जसरासर नहीं गया जबकि इंतकाल संख्या 641 अपीलांट स्वंय के आवेदन पर दिनांक 28.12.2023 को स्वीकृत किया गया है, अगले ही दिन दिनांक 29.12.2024 बैयनामा उप पंजीयक जसरासर के समक्ष निष्पादित किया है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अंकित तथ्य सफेद झूठ की श्रेणी में आते है, अपीलांट अपनी लिखित बहस में अपने हस्ताक्षर किये दस्तावेज

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

को इंकार कर रहा है तथा मियाद प्रार्थना पत्र में वकील द्वारा सूचना नहीं दिया जाने का अंकन किया है जबकि वकील साहब का जबाब दावा प्रस्तुत करने से लेकर बैयनामा करवाने तक साथ रहा है इसके बावजूद भी अपीलांट के कहे अनुसार यदि अपीलांट के अधिवक्ता ने दावा के निर्णय की कोई सूचना नहीं दी तो अपीलांट ने अधिवक्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की, ऐसी कोई शिकायत अपीलांट ने अपील के साथ पेश नहीं की है इसलिए केवल अधिवक्ता ने सूचना नहीं दी इसको आधार बनाकर मियाद को क्षमा नहीं किया जा सकता है।

अपीलांट द्वारा मियाद कंडोन करने बाबत कोई संतोषजनक कारण दर्शित नही किये है। जहॉ संतोषप्रद कारण नही हो वहॉ पर मियाद कंडोन नही की जानी चाहिए। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

जहॉ अपील मियाद बाहर हो तो कानून में यह प्रावधान है कि मियाद का बिन्दू पहले तय करना चाहिए क्योकि मियाद के बिन्दू को तैय किये बिना न्यायालय को प्रकरण के गुणावगुण के बिन्दू पर पहूॅचने का अधिकार प्राप्त होता है और मियाद को भी केवल इस कारण क्षमा नही करनी चाहिए कि प्रकरण मेरिट पर मजबूत है।

मियाद पर ऐसी स्पष्ट स्थिति के बाद भी मेरिट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कथन है कि अपीलांट ने अपने जवाब दावा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत दावा को स्वीकार किया जाने में अनापति जाहिर की है। कानूनन जहॉ तथ्य स्वीकृत हो वहॉ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार साबित करने की आवश्यकता नही है। जब अपीलांट ने अपने जवाब दावा में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत दावा को स्वीकार किया जाने में अनापति जाहिर की है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की स्वीकृति के आधार पर निर्णय व डिक्री प्रदान किया है तथा अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विभाजन के दावा में इस अपील में अंकित निर्णय व डिक्री को सही मानकर अपने हिस्से के विभाजन की सहमति प्रदान की है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावा में प्राथमिक डिक्री जारी की है इसलिए अपीलांट को निर्णय व डिक्री दिनांक 21–12–2003 में अंकित तथ्यों से इंकार नही करने दिया जाएगा। अपीलांट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 में प्रतिपादित एस्ओप्ल के सिद्धान्त से एस्टोप्ड है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए लिखित बहस में कथन किय कि आराजी जैर अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को उनके पिता से प्राप्त होने के कारण वादगत भूमि पैतृक संपति है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 5 सहित रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 व 6 का जन्म से हक व अधिकार बनता है इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को अपना हिस्सा बैचने का अधिकार था ना कि विशेष हिस्सा इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा जो विशेष हिस्सा अपीलांट को बैय किया गया वो कानूनन शुन्य है। अपीलांट का मौके पर कब्जा नही है ना ही कब्जा हो सकता है क्योकि कानून के अनुसार अपीलांट अजनबी खरीददार है और अजनबी खरीददार को बिना विभाजन के भूमि में प्रवेश करने का अधिकारी नही है।

अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नही किया। इस संबंध में आदेश 14 नियम के अनुसार विवाधक तभी कायम किए जा सकते है जब एक पक्षकार द्वारा कहा गया हो और दुसरे पक्षकार द्वारा इंकार किया गया हो जबकि इस प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत दावा को स्वीकार करने में अनापति जाहिर की थी। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत जबाब दावा की अंतिम पंक्तियों "लिहाजा जबाब दावा पेश कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र वादीगण के निहित हिस्सा की हद तक स्वीकार फरमाया जाकर निर्णीत किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई उज आपति नहीं है" को देखा जा सकता है। इसलिए तनकी कायम नहीं की जा सकती थी।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलान्ट द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद पत्र में प्रस्तुत कथनो से इंकार किया है, तो फिर उसके बाद वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयत कायम करनी चाहिये थी तत्पश्चात शहादत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की लेकर फिर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिये था लेकिन अदालत मातहत ने वादीगण एवं शेष प्रतिवादीगण से दुरभी संधि करके अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी जिसकी भनक तक अपीलान्ट को नहीं लगने दी जो कि Abuse Of Process OF Law की तारीफ में आता है, जिसे किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है, इसे निरस्त फरमाया जावे। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यु 2016(2) आर जे पेज 869, आरआरडी 1955 पेज 252,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आरबीजे 2021 पेज 226, आरबीजे 2019 पेज 362, आरबीजे 2019 पेज 658, आरबीजे 2019 पेज 20, आरएलडब्ल्यु 2006 (2) पेज 919, आरएलडब्ल्यु 2008(2) पेज 945, एससीसी 1998 पेज 558, आरएलडब्ल्यु 2014 (1) आर जे पेज 470, एआईआर 1981 पेज 1, आरआरडी 1985 पेज 655, एआईआर 2009 एससी पेज 2735, आरआरडी 1989 पेज 738, आरआरडी 1994 पेज 697 का उल्लेख किया।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण से पहले मियाद के बिन्दु को तय किया जाना है। मियाद के सम्बन्ध में निम्नाकिंत बिन्दुओं पर विचारण किया जाना है–

1– **क्या अपील अन्दर मियाद है अथवा नही?**

2– **क्या अपील पेश करने में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित किये गये है अथवा नही?**

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–12–2023 को पारित किया गया जबकि हस्तगत अपील दिनांक 24–05–2024 को प्रस्तुत की गई है। निर्णय व डिक्री की अपील पेश करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है। जबकि यह अपील **लगभग 150 दिवस** पश्चात् प्रस्तुत की गई। अतः अपील मियाद अवधि के पश्चात् पेश की गई है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब कंडोन करने व अपील को अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है। न्यायालय को यह विचारण करना है क्या अपीलांट द्वारा विलम्ब हेतु दर्शित कारण 'पर्याप्त कारण' है जिससे की न्यायालय का यह समाधान हो कि विलम्ब हेतु उत्तरदायी परिस्थितियॉ ऐसी थी, जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो।

इस हेतु मियाद अधिनियम के प्रावधानो पर गौर करना उचित होगा। मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार **(1) Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive),**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

मियाद अधिनियम की धारा 5 के अनुसार–

"Any appeal or any application, other than an application under any of the provisions of Order XXI of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), may be admitted after the prescribed period, if the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. "

उपर्युक्त प्रावधानो के आलोक में यह स्पष्ट है कि धारा 3 मियाद अधिनियम के अनुसार न्यायालय मियाद से बाहर प्रस्तुत अपील को खारिज करेगा। वही धारा 5 यह प्रावधित किया गया है कि यदि अपील में विलम्ब हेतु अपीलांट द्वारा यदि संतोषप्रद कारण बताया जाता है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। संतोषप्रद कारण क्या है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1955 पेज संख्या 252 में यह अवधारित किया गया है कि

"We have heard the learned counsel appearing for the parties and have gone through the recoed as well. It is ture that an appellate court is to exercise its own discretion while dealing with the question as to whether a " sifficient cause" for the delay under section 5 of the Indian Limitation Act exisits or not. But it is a general principle of law that discreationary power must be exercised on judicial principles and not" in any arbitrary vague or fanciful manner." The term " Sufficient cause" has not been defined anywhere in the Indian Limitation Acts, but it has been held that it must mean a cause which is beyond the control of the party invoking the aid of the section. Necessarily it follows that a case for delay which by due care and attention could have been avoided cannot constitute a sufficient cause."

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील लगभग **150 दिवस पश्चात्** प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह अभिकथित किया है *कि "अपीलान्ट ने कई बार अपने वकील से अपने उक्त मुकदमा के बारे में पूछा तो उन्होने बताया कि जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हे अपने आप सुचित कर दूंगा यहां आने की आवश्यकता नहीं है, तो अपीलान्ट निशचिन्त हो गया, अपीलान्ट अपने उक्त रकबा को संपरिवर्तन करवाने के लिए दिनांक 18.05.2024 को पटवारी हल्का के पास नकले लेने गया तो पटवारी हल्का ने रेकार्ड देख कर बताया कि तुम पहले खाता विभाजन करवाओ फिर संपरिवर्तन की कार्यवाही होगी क्योंकि इस खाता में तो नाम बहुत है, तो अपीलान्ट ने कहा कि खाते में मैरा और रामूराम का ही नाम है, और मैने तो आसापासा सहित विशेष हिस्सा कय किया है, उसकी तरमीम कर दो तो पटवारी हल्का ने बताया कि एस डी ओ के निर्णय के अनुसार रामूराम के लड़को का भी नाम दर्ज है, तो अपीलान्ट ने कहा कि अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है, तो पटवारी हल्का ने कहा कि फैसला हो गया है, तुम अपने वकील साहब से जाकर पत्रावली देख लो तो अपीलान्ट उसी दिन अपने वकील साहब के पास गया और पूछा तो वकील साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है, तुम 5–7 दिन बाद में आना तो अपीलान्ट ने दुसरे वकील साहब से प्रकरण का पता करने को कहा तो उन्होने कहा मैं पता करके बताता हूं तुम 2–3 दिन बात आना तो अपीलान्ट अपने गांव चला गया और दिनांक 22.05.2024 को फिर वकील साहब के पास आया तो उन्होने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकले निकलवा कर दी और बताया कि तुम्हारी पत्रावली में तो दिनांक 21.12.2023 को निर्णय हो गया था, तब अपीलान्ट ने पूछा अब क्या करे मुझे तो धनश्याम बरोड़ वकील साहब ने कभी बताया ही नहीं तो उन्होने कहा तुम बीकानेर जाकर जल्दी से जल्दी अपील प्रस्तुत करो। तो अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल लेकर अपने गांव चला गया और रूपयो पैसो की व्यवस्था करके आज दिनांक 23.05.2024 को बीकानेर वकील नियुक्त कर बिना किसी प्रकार की देरी किए अपील प्रस्तुत कर रहे है।"*

इस प्रकार अपीलांट द्वारा धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब हेतु यह आधार लिया है कि अपीलांट के अधिवक्ता श्री धनश्याम बरोड़ द्वारा उन्हे अपीलाधीन निर्णय से अवगत नही करवाया और अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18–05–2024 को पटवारी के कहने पर हुई।

जबकि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब मियाद प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 27–12–2023 को ही हो चुकी थी। इसके समर्थन में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट द्वारा तहसीलदार नोखा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 27–12–2023 की प्रति तथा बैयनामा दिनांक 29–12–2023 की प्रति प्रस्तुत की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 27–12–2023 को तहसीलदार, जसरासर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि राजस्व वाद संख्या 19/23 उपखण्ड अधिकारी, नोखा के डिक्री के अनुसार खाता संख्या 177 में जसाराम का हिस्सा दर्ज किया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, जसरासर का पृष्ठांकन अंकित है साथ ही तहसीलदार द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर आदेश कमाक 420 दिनांक 27–12–2023 द्वारा पटवारी हलका साधासर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। इसके पश्चात अपीलांट जसाराम द्वारा इस भूमि का बैचान जरिये रजिस्टर्ड सेल डीड रामनारायण पुत्र हुकमाराम को दिनांक 29–12–2023 को किया गया है।

इससे यह साबित है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 27–12–2023 को हो चुकी थी। अपीलाधीन निर्णय की पालना हेतु अपीलांट द्वारा स्वयं तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा इस तथ्य से इनकार नही किया गया कि प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर नही है। दिनांक 29–12–2023 को अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि के बैचान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी थी।

चूंकि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21–12–2023 की जानकारी दिनांक 27–12–2023 को होना साबित है। इस स्थिति में अपीलांट द्वारा दिनांक 27–12–2023 से अपील पेश करने की दिनांक 24–05–2024 तक की अवधि के विलम्ब के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई पर्याप्त कारण दर्शित नही किया है जिससे कि न्यायालय को यह समाधान हो कि विलम्ब की परिस्थितिया इस प्रकार थी जो कि अपीलांट के नियंत्रण से बाहर हो। परिसीमा अधिनियम के सिद्धान्त उदार तरीके से काम में लिये जाने चाहिए परन्तु इसका मतलब यह

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नही होता है कि कोई पक्षकार अपने अधिकारो के प्रति जागरूक नही रहे। विलम्ब के संबंध में पर्याप्त/संतोषप्रद कारण न होने से इसे अन्दर मियाद शुमार नही किया जा सकता है। न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2008 (2) आर.जे. पेज संख्या 949 के आलोक में जहॉ अपील मियाद बाहर हो वहॉ गुणावगुण पर विचार नही किया जा सकता है।

7. उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 9-3-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर